न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 73/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांक 23.03.2022

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. सलाम शाह पुत्र चांद शाह उम्र 46 वर्ष
2. सिददीक शाह पुत्र चांद शाह उम्र 48 वर्ष
3. हमीद शाह पुत्र चांद शाह आयु 35 वर्ष निवासीगण ग्राम भौरा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. चादमोहम्मद पुत्र जुम्मा शाह उम्र 51 वर्ष निवासी भौरा तहसील दीगोद जिला कोटा
5. मुख्तार खान पुत्र कालूखान उम्र 36 वर्ष निवासी सीमलिया तह. दीगोद जिा कोटा राज.
6. अब्दुल हमीद पठान पुत्र मंगूखां उम्र 51 वर्ष निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
7. अकरम अली पुत्र अलाबंदा उम्र 32 वर्ष निवासी चम्बल कोलोनी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
8. जाहिद हुसैन आत्मज श्री अब्दुल अजीज आयु 37 वर्ष निवासी चम्बल कोलोनी सीमलिया कोटा
9. इरफान मोहम्मद पुत्र कालू भाई आयु 35 वर्ष नि० सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
10. रईस मोहम्मद पुत्र मोहम्म्द हुसैन निवासी चम्बल कोलोनी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
11. अहसान अली पुत्र अब्दुल अजीज ढाबा रोड सीकलिया तहसील दीगोद, जिला कोटा

...अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. ग्राम भौरा जर्ये अध्यक्ष महेश गौतम
2. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. ग्राम भौरा जर्ये सचिव
3. ग्राम पंचायत भौरा जर्ये सरंपच ग्राम पंचायत भौरा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद
5. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय कोटा

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री मोहम्मद यूनूस अभिभाषक – अपीलांट्स
श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 4 एवं 5

::निर्णय::

दिनांक 24.12.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र/एल.आर. एक्ट/69/2022/ कोटा में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 की पालना में जिला कलक्टर द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक प.( )राज./उप./2016/1881 दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध प्रथम

24/12/2024

अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत में धारा 96 सीपीसी के साथ प्रभावित पक्षकार होना वर्णित करते हुए अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा आवंटन आदेश क्रमांक प.( )राज./उप./2016/1881 दिनांक 11.07.2016 से तहसीलदार दीगोद एवं उपखण्ड अधिकारी, दीगोद की रिपोर्ट/अभिशंषा एवं सरपंच, ग्राम पंचायत भौंरा की अनापत्ति के आधार पर भौंरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि0 भौंरा, तहसील दीगोद को ग्राम भौंरा के खसरा सं0 59 की 0.36 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर (1000 वर्गमीटर) भूमि किस्म गैर मुमकिन खलियान सहकारी समिति के लिए गोदाम निर्माण हेतु 99 वर्ष की लीज पर शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित की गई।

2. अपीलांट्स द्वारा जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित उक्त आवंटित आदेश दिनांक 11.07.2016 से व्यथित होकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश कर कथन किया कि आदेश जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम भौरा की आराजी ख. न. 59 की 0.36 हेक्टर गैरमुमकिन खलियान मे से 0.10 हेक्टर (1000 वर्गमीटर भूमि) को रेस्पो. न. 1 एवं 2 के नाम आवंटित करने मे त्रुटि की है। खलियान की भूमि को आबादी हितार्थ बिना किस्म तब्दील किये आवंटित नहीं किया जा सकता। जिला कलेक्टर द्वारा उक्त आराजी का आवंटन सशर्त किया गया कि आंवटन तिथी से एक वर्ष के अन्दर तामीर कार्य करना तथा उक्त भूमि के संबंध मे विवाद न्यायालय मे होने पर उक्त आवन्टन आदेश लागू नहीं होने का तथ्य पूर्ण रूप से अंकित किया हुआ हैं। उक्त आराजी का आवंटन सन 2016 में हुआ है तथा रेस्पो. न0 1 व 2 वर्तमान मे यानि 5 वर्ष बाद तामीर कार्य करवा रहे है, अतः उक्त आवन्टन शर्त की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन स्वतः निरस्त हो चुका है तथा उक्त आराजी के संबंध मे न्यायालय मे वाद भी लंबित है अतः उक्त आदेश अप्रभावशील है। इसके उपरान्त भी वर्तमान मे कानून व आवन्टन शर्त के विरूद्ध रेस्पो. न0 1 एवं 2 निर्माण कार्य कर है, जिनका उन्हे अधिकार नहीं है। रेस्पो. द्वारा जो नक्शा आवंटन करवाने बाबत पेश किया गया है वह वस्तुस्थिति मौका स्थिति के विपरीत पेश किया गया है। वादग्रस्त आराजी के समीप दरगाह काकीशाह रहमतुल्ला अलैह की स्थित है तथा दरगाह के आसपास तथा उक्त आवंटित भूमि के लगवा पुराने कब्रिस्तान है जहां आज भी मुर्दे दफन किये जा रहे है तथा जो जगह रेस्पो. न. 1 एवं 2 को आवंटित की गई है वहां पर जनाजे की नमाज पढाई जाती है तथा आस पास के लोग खलियान डालते है तथा त्योहार ईद व बकराईद पर नमाजे भी होती है। उक्त दरगाह काफी पुरानी है तथा करीब 345 वर्ष पुरानी है जिसको पूर्व रजवाड़े द्वारा दी गई 151 बीघा जमीन पर बनाया गया है। सूफी काकी शाह रहमतुल्ला की सेवा से प्रसन्न होकर रजवाडे के महाराजा द्वारा ग्राम भौरा मे 151 बीघा भूमि दी गई थी जिसमे सेटलमेन्ट होते रहे तथा वर्तमान मे दो सेटलमेन्ट हो चुके है उक्त ख. न. 59 भी उक्त आराजी का भाग है चूंकि सेटलमेन्ट द्वारा उक्त आराजी को खलियान के रूप मे दर्ज कर दिया। उक्त आराजी दरगाह व कब्रिस्तान के करीब होने तथा भूमि खाली पड़ी रहने से उक्त तथ्य की जानकारी अपीलान्टस व उनके पूर्वजो को नहीं हो सकी है उक्त जानकारी वर्तमान मे हुई है। अपीलान्ट उक्त आदेश से प्रभावित हुये है, क्योकि उनके पूर्वज की कब्रे उक्त स्थान पर है तथा 345 वर्ष पुराना

24/12/2024

मजार बना हुआ है जिसको रेस्पो. न0 1 एवं 2 क्षति पहुंचाने पर आमादा है इस कारण प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार होने से यह अपील पेश कर रहे है। अपीलाधीन आदेश जेर अपील अपीलान्टस की अनुपस्थित मे दिया गया है जिसकी सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 12.1.2022 को होने पर जानकारी की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.1.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 18.1.2022 को नकल प्राप्त करके यह अपील पेश की गई है। अतः अपीलांट्स ने प्रभावित पक्षकार होने से धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील पेश करनी की इजाजत फरमाते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जेरअपील जिला कलक्टर, कोटा दिनांक 11.07.2016 को निरस्त फरमाये जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 अभिभाषक सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन सन 2016 में हुआ है तथा रेस्पो. न0 1 व 2 वर्तमान मे यानि 5 वर्ष बाद तामीर कार्य करवा रहे है, अतः उक्त आवन्टन शर्त की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.07.2016 स्वतः निरस्त हो चुका है तथा वादग्रस्त आराजी के संबंध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में धारा 136 एलआरएक्ट अन्तर्गत कार्यवाही जेरकार है। प्रकरण में प्रार्थना–पत्र ऑर्ड 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पुरानी जमाबंदी पेश की गई है तथा अपीलांट्स का पट्टा एवं दरगाह भी मौके पर है। वर्तमान मे कानून व आवन्टन शर्त के विरूद्ध रेस्पो. न0 1 एवं 2 निर्माण कार्य कर है, जिनका उन्हे अधिकार नहीं है। रेसपो. द्वारा जो नक्शा आवंटन करवाने बाबत पेश किया गया है वह वस्तुस्थिति मौका स्थिति के विपरीत पेश किया गया है। उक्त आराजी के समीप दरगाह काकीशाह रहमतुल्ला अलैह की स्थित है तथा दरागाह के आसपास तथा उक्त आवंटित भूमि के लगवा पुराने कब्रिस्तान है तथा जो जगह रेस्पो. न. 1 एवं 2 को आवंटित की गई है वहां पर जनाजे की नमाज पढाई जाती है तथा आस पास के लोग खलियान डालते है तथा त्योहार ईद व बकराईद पर नमाजे भी होती है। उक्त दरगाह काफी पुरानी है तथा करीब 345 वर्ष पुरानी है जिसको पूर्व रजवाड़े द्वारा दी गई 151 बीघा जमीन पर बनाया गया है। सूफी काकी शाह रहमतुल्ला की सेवा से प्रसन्न होकर रजवाडे के महाराजा द्वारा ग्राम भौरा मे 151 बीघा भूमि दी गई थी जिसमे सेटलमेन्ट होते रहे तथा वर्तमान मे दो सेटलमेन्ट हो चुके है उक्त ख. न. 59 भी उक्त आराजी का भाग है चूंकि सेटलमेन्ट द्वारा उक्त आराजी को खलियान के रूप मे दर्ज कर दिया। उक्त आराजी दरगाह व कब्रिस्तान के करीब होने तथा भूमि खाली पड़ी रहने से उक्त तथ्य की जानकारी अपीलान्टस व उनके पूर्वजो को नहीं हो सकी है उक्त जानकारी वर्तमान मे हुई है तथा उनके पूर्वज की कब्रे उक्त स्थान पर है तथा 345 वर्ष पुराना मजार बना हुआ है जिसको रेस्पो. न0 1 एवं 2 क्षति पहुंचाने पर आमादा है। अतः अपीलांट्स ने प्रभावित पक्षकार होने से धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील पेश करनी की इजाजत फरमाते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जेरअपील जिला कलक्टर, कोटा दिनांक 11.07.2016 को निरस्त फरमाये जावे।

24/12/2024

5. प्रकरण में रेस्पो0 अभिभाषक की ओर से अपीलांट के प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी पर आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा गुणावगुण से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी सुने जाने का अनुरोध किया गया। अतः गुणावगुण पर सुने जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी पर विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान को सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी दरगाह व कब्रिस्तान के करीब होने तथा भूमि खाली पड़ी रहने से उक्त तथ्य की जानकारी अपीलान्टस व उनके पूर्वजो को नहीं हो सकी है उक्त जानकारी वर्तमान मे हुई है। अपीलान्ट उक्त आदेश से प्रभावित हुये है, क्योकि उनके पूर्वज की कब्रे उक्त स्थान पर है तथा 345 वर्ष पुराना मजार बना हुआ है जिसको रेस्पो. न0 1 एवं 2 क्षति पहुंचाने पर आमादा है इस कारण अपीलांट/प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार है। इसके विपरित विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी पर आपत्ति जाहिर कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर उक्त भूमि में 345 वर्ष पुराना कब्रिस्तान बताकर स्वयं को प्रभावित पक्षकार बताया गया है। अपीलांट द्वारा प्रभावित पक्षकार होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। आवंटित भूमि से अपीलांट को कोई भी संबंध नहीं है। अपीलांट द्वारा स्वयं अपील में वर्णित किया है कि आवंटित भूमि के लगवा दरगाह तथा पुराने कब्रस्तान है तथा आवंटित भूमि पर नमाज पढ़ाई जाती है तथा कब्रस्तान के करीब होने तथा खाली पड़ी रहने से आवंटन की जानकारी नहीं रही है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है सिर्फ लगवा जमीन के आधार पर अपील पेश की है। अतः अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नही होने से प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि जिला कलक्टर, कोटा द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 11.07.2016 से ग्राम भौंरा की खसरा सं0 59 की 0.36 है0 में से 0.10 हैक्टे0 (1000 वर्गमीटर) भूमि किस्म गैरमुमकिन खलियान की भूमि ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि0 भौंरा तहसील दीगोद को आवंटित की गई है जो कि खसरा सं0 59 में से ही आवंटित की गई है साथ ही तहसीलदार दीगोद से प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./22/2881 दिनांक 18.07.2022 अनुसार उक्त आवंटित आराजी के समीप खसरा सं0 59 में ही रकबा 0.26 पर दरगाह बनी होना तथा पहुंच मार्ग हेतु सीसी सड़क भी बनी होना उल्लेखित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी के आधार पर ही निर्णय किया जाना उचित प्रतीत न होकर उभयपक्षकारान की ओर से पेश साक्ष्य/दस्तावेजों का एवं अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध आधार अभिलेक्ष का समुचित परीक्षण उपरांत ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रकट होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धार 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 नें प्रकरण में लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा जो पट्टा पेश किया गया है, वह काफी पुराना है। ग्राम पंचायत के दिनाक 20.08.2013 प्रस्ताव अनुसार गोदाम पूर्व में ही बना होना प्रमाणित होता है। संवत 2013 में भी खसरा सं0 59 एवं वर्तमान में भी खसरा सं0 59 ही दर्शाया गया है। जिस भूमि पर समिति का नया भवन बनाया गया वह भूमि खसरा नं. 755/59 की रकबा 0.10 हैक्टेयर गैरमुमकिन खलियान की भूमि थी, जिसको नामान्तरकरण संख्या 583 से ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ग्राम भौंरा के राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया, जो कि जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक प.() राज./उप./2016/1882 दिनांक 11.07.2016 से भौंरा ग्राम सहकारी समिति लिमिटेड भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा को गोदाम निर्माण हेतु 99 वर्षीय लीज पर आवंटित की गई, जिसका पट्टा

24/12/2024

विलेख का पंजीयन उप पंजीयक दीगोद जिला कोटा में पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 220, पृष्ठ सं. 153 कम सं. 2016001686 पर दिनांक 24.08.2016 को भौंरा ग्राम सहकारी समिति लिमिटेड भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा के पक्ष में पंजीबद्ध हो रहा है। उक्त आराजी पूर्व में किसी कब्रस्तान के नाम दर्ज नहीं रही है। अतः आवंटित भूमि से अपीलांट का किसी प्रकार से संबंध नहीं है तथा जिला कलक्टर कोटा द्वारा आवंटन आदेश क्रमांक प.( )राज./उप./2016/1881 दिनांक 11.07.2016 तहसीलदार दीगोद एवं उपखण्ड अधिकारी, दीगोद की रिपोर्ट/अभिशंषा एवं सरपंच, ग्राम पंचायत भौंरा की अनापत्ति के आधार पर ही जारी किया गया है, जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट पोषनीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

7. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

8. अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा आवंटन आदेश क्रमांक प.( )राज./उप./2016/1881 दिनांक 11.07.2016 से तहसीलदार दीगोद एवं उपखण्ड अधिकारी, दीगोद की रिपोर्ट/अभिशंषा एवं सरपंच, ग्राम पंचायत भौंरा की अनापत्ति के आधार पर भौंरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि0 भौंरा, तहसील दीगोद को ग्राम भौंरा के खसरा सं0 59 की 0.36 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर (1000 वर्गमीटर) भूमि किस्म गैर मुमकिन खलियान सहकारी समिति के लिए गोदाम निर्माण हेतु 99 वर्ष की लीज पर शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उभयपक्षकारान द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति भौंरा द्वारा ग्राम भौंरा के खसरा संख्या 59 रकबा 0.36 है गैर मुमकिन खालियान को गोदाम हेतु आवंटन के प्रस्ताव तहसीलदार दीगोद की अनुशंषा सहित जिला कलक्टर, कोटा को प्रेषित किये गये। जिला कलक्टर, कोटा द्वारा आवंटन आदेश क्रमांक प.( )राज./उप./2016/1881 दिनांक 11.07.2016 से तहसीलदार दीगोद एवं उपखण्ड अधिकारी, दीगोद की रिपोर्ट/अभिशंषा एवं सरपंच, ग्राम पंचायत भौंरा की अनापत्ति के आधार पर भौंरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि0 भौंरा, तहसील दीगोद को ग्राम भौंरा के खसरा सं0 59 की 0.36 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर (1000 वर्गमीटर) भूमि किस्म गैर मुमकिन खलियान सहकारी समिति के लिए गोदाम निर्माण हेतु 99 वर्ष की लीज पर शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित की गई। प्रकरण में अपीलांट के द्वारा न्यायालय हाजा में जो फोटो ग्राम पेश किये है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि दरगाह/मजार विवादित आराजी पर ही बने हुये है। अपीलांट द्वारा साक्ष्य के रूप में एक पुराना पट्टा पेश किया गया लेकिन उक्त पट्टे का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध अपीलांट साबित करने में असफल रहे है। साथ ही तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ/22/2881 दिनांक 18.07.2022 में यह स्पष्ट किया गया है कि आवंटित खसरा संख्या का हाल खसरा सं0 755/59 रकबा 0.10 है0 है, जिस पर कोई मजार या दरगाह बनी हुई नहीं है, जिसका प्रतिकार भी अपीलांट द्वारा नहीं किया

24/12/2024

गया है। उक्त रिपोर्ट में भू–अभिलेख निरीक्षक सीमल्या की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2022 के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का भवन बना हुआ होना तथा तार फेंसिग होना वर्णित किया गया है, जो कि रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत फोटोग्राफ से स्पष्ट होता है, जिसका प्रतिकार भी अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट दिनांक 18.07.2022 अनुसार आवंटित खसरा संख्या हाल खसरा सं0 755/59 रकबा 0.10 है0 पर कोई मजार या दरगाह न होकर दरगाह खसरा नं0 59 रकबा 0.26 पर बनी होने से ग्राम सेवा सहकारी समिति के पास (लगवा) बना होना प्रकट होता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा सिर्फ लगवा भूमि के आधार पर अपील पेश की गई है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट विवादित आराजी पर अपना हित निहित होना साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय (आवंटन आदेश क्रमांक प.( )राज./उप./2016/1881 दिनांक 11.07.2016) न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 11.07.2016 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज़ दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

24/12/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा